

पारोख
हुक्म

प्रीमान
राजस्व

दिनांक 5-5-23। पत्रावली राज्य सरकार व
राजस्व मण्डल को द्वारा जारी आदेशानुसार नियत
तिथि से पूर्व तलब की गई। सम्बन्धित पक्षकारों को
नोटिस जारी किये गए तथा वकील अभिभावकगण
को सूचित किया जाकर पत्रावली नियत तिथि को पूर्व
दिनांक 8-5-23 को कोर्ट कैम्प में प्रस्तुत
पेश है।
उपखण्ड अधिकारी
अरांड

गणपति

8-5-23 पत्रावली आज दि. 8/5/23 को प्रशासन
गांवों के संग अभियान-2023 केमप
भोगादीत में मजमे साम में पेश हुई। वादी
नन्दसिंह ने उपस्थित होकर निरवत प्र.पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे (वादी)
व प्रतिवादीगणों के मध्य राजीनामा/समझौता
हो गया है एवं हमने बाद अधीन क्रम का
कार्यवाही कर लिया है अब मैं इस
वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ।
वादी की पहचान सरपंच रात पंचायत -
भोगादीत व कुलदीप सिंह पुत्र डीमसिंह
निवासी भोगादीत वगैरह द्वारा की गई
है। वादी द्वारा प्रस्तुत Not Press प्र.पत्र
शामिल मिसल किया जाकर वादी के
Not Press प्र.पत्र के आधार पर वादी
का वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
नि कम हो।

गुलाम
कुलदीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी
अरांड (अजमेर)

